रजिस्टर्ड नं० HP/13/SML/2004.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बुधवार 3 नवम्बर, 2004/12 कार्तिक, 1926

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 3 नवम्बर, 2004

संख्या एल० एल० आर०-डी० (6) 20/2004-लेज.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 1-11-2004 को प्रख्यापित हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास वस्तुएं कर द्वितीय संशोधन अध्यादेश, 2004 (2004 का अध्यादेश

2421-राजपत्र/2004-3-11-2004—1482. (2269) मूल्य : 1 रुपया ।

संख्यांक 5) को संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करते हैं।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-
सचिव (विधि)।

2004 का हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 5.

हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास-वस्तुएं कर द्वितीय संशोधन अध्यादेश, 2004

भारत गणराज्य के पचपनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित ।

हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास-वस्तुएं कर अधिनियम, 1979 (1979 का 15) का और संशोधन करने के लिए **अध्यादेश** ।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सत्र में नहीं है और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है ;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :—

संक्षिप्त नाम ।

1. इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास-वस्तुएं कर द्वितीय संशोधन अध्यादेश, 2004 है ।

धारा 2 का संशोधन ।

1979 का 15.

2. हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास-वस्तुएं कर अधिनियम, 1979 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 2 में,—

(*i*) खण्ड (गग) में "इसके अन्तर्गत" शब्दों के पश्चात् "अतिरिक्त या" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ;

(*ii*) खण्ड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"**स्पष्टीकरण.**—खण्ड (घ) के प्रयोजन के लिए जहां किसी होटल में कोई आवास सुविधा, टाइम शेयर करार के अधीन या पैकिज़ डील करार के अधीन या ऐसी किसी अन्य पद्धति के अधीन उपलब्ध करवाई गई है, जिसमें वर्ष में दी गई अवधि के दौरान आवास के उपभोग की सुविधा एक मुश्त संदाय के अन्तर्गत अनुज्ञात की गई है, तो उसे भी "होटल" समझा जाएगा" ;

(*iii*) खण्ड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"**स्पष्टीकरण.**—खण्ड (ङ) के प्रयोजन के लिए जहां उपलब्ध करवाई गई आवास सुविधा टाइम शेयर करार या पैकिज डील करार या ऐसी किसी अन्य पद्धति के अधीन है जिसमें केवल अनुरक्षण प्रभार, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हों, किए गए किसी एक मुश्त संदाय के अतिरिक्त कालिकतः

संगृहीत किए गए हैं, तो उपलब्ध करवाई गई विलास वस्तु के लिए, प्रभार निम्नलिखित रूप में अवधारित किए जाएंगे, अर्थात् :—

(क) जहां किसी होटल में निम्नलिखित सुविधाओं में से कोई सुविधा है तो, वस्तुतः उपयोग में लाई गई आवास सुविधा के लिए पांच सौ रुपये प्रति व्यक्ति प्रति दिन :—

(*i*) स्विमिंग पूल
(*ii*) हैल्थ क्लब
(*iii*) टैनिस कोर्ट
(*iv*) गौल्फ कोर्स
(*v*) शॉपिंग आर्केड ; और

(ख) अन्य सभी मामलों में, विलास वस्तु के लिए प्रभारों की गणना, वस्तुतः उपयोग में लाई गई आवास सुविधा के लिए, प्रति व्यक्ति प्रति दिन तीन सौ रुपये की दर से की जाएगी ।

(*iv*) पद "नए होटल" को परिभाषित करने वाले विद्यमान खण्ड (ङङ) को (ङङङ) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा ।

धारा 4 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :

"परन्तु यह कि जहां होटल में उपलब्ध करवाई गई विलास वस्तु के लिए प्रभार दैनिक आधार पर से अन्यथा संदेह है, तो आवास सुविधा के अधिभोग की कुल अवधि के लिए प्राप्तियों के आवर्त की संगणना एक दिन के लिए अनुपाततः की जाएगी और विलास वस्तु कर तदानुसार संदत्त किया जाएगा ।"।

विष्णु सदाशिव कोकजे,
राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश ।

सचिव (विधि)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

शिमला :
तारीख :

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

H. P. Ordinance No. 5 of 2004.

THE HIMACHAL PRADESH TAX ON LUXURIES (IN HOTELS AND LODGING HOUSES) SECOND AMENDMENT ORDINANCE, 2004

Promulgated by the Governor of Himachal Pradesh in the Fifty-fifth Year of the Republic of India.

An Ordinance further to amend the Himachal Pradesh Tax on Luxuries (in Hotels and Lodging Houses) Act, 1979 (Act No. 15 of 1979).

WHEREAS the Legislative Assembly of Himachal Pradesh is not in session and the Governor of Himachal Pradesh is satisfied that the circumstances exist, which render it necessary for him to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of article 213 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance :—

Short title

1. This Ordinance may be called the Himachal Pradesh Tax on Luxuries (in Hotels and Lodging Houses) Second Amendment Ordinance, 2004.

Act No. 15 of 1979.

Amendment of section 2.

2. In section 2 of the Himachal Pradesh Tax on Luxuries (in Hotels and Lodging Houses) Act, 1979 (hereinafter referred to as the 'principal Act'),—

(*i*) in clause (*cc*), after the words "also include the", the words "Additional or" shall be inserted;

(*ii*) after clause (*d*), the following Explanation shall be added, namely:—

"*Explanation.*—For the purpose of clause (*d*) wherever any accommodation in a hotel is provided under timeshare agreement or under package deal agreement or under any such other system wherein the facility of availing accommodation during a given period in a year is allowed under a lumpsum payment, shall also be deemed to be a 'hotel' ";

(*iii*) after clause (*e*), the following Explanation shall be added, namely :—

"*Explanation.—For the purpose of clause* (*e*) wherever accommodation provided is under timeshare agreement or under a package deal agreement or under any such other system wherein only maintenance charges, by whatever name called, are collected periodically; over and above any lumpsum

payment made, the charges for luxury provided shall be determined as under, namely :—

(*a*) Where a hotel is having any of the following facilities, Rs. 500/- per person per day for the accommodation facility actually availed :—

(*i*) swimming pool
(*ii*) health club
(*iii*) tennis court
(*iv*) golf course
(*v*) shopping arcade; and

(*b*) In all other cases, the charges for luxury shall be worked out at the rate of Rs. 300/- per person per day for the accommodation facility actually availed.". ; and

(*iv*) the existing clause (*ee*) defining the expression "new hotel" shall be renumbered as (*eee*).

Amendment of section 4.

3. In section 4 of the principal Act, in sub-section (1), the following proviso shall be added, namely :—

"Provided that where the charges for luxury provided in a hotel are payable otherwise than on daily basis, then the turnover of receipts for the total period of occupation of accommodation shall be computed proportionately for a day and luxury tax paid accordingly.".

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित